रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227712
CG-DL-E-18062021-227712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 335] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

**सा.का.नि. 419(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**- इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में "उपाबंध" में, शीर्षक "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)" के अधीन,-

(क) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101" में, "परिशिष्ट ख" में,-

(i) अनुच्छेद ख1 में, मद(घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) वित्तीय विवरणों का वर्गीकरण एवं मापन (अनुच्छेद ख8- ख8क)"

(ii) अनुच्छेद ख8 से पहले, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**वित्तीय विवरणों का वर्गीकरण एवं मापन**"

(ख) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102" में,-

(i) अनुच्छेद 63घ के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

63ङ. 2021 में जारी *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भों में संशोधन के तहत* परिशिष्ट-क में इक्विटी लिखत की परिभाषा की पाठ टिप्पणी (फुटनोट) संशोधित हुई। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को पहली अप्रैल 2021 से या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों को लागू करेगा। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को भारतीय लेखा मानक 102 में भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। लेकिन यदि वह (प्रतिष्ठान) यह निर्धारित करता है कि उसे इसे पूर्व प्रभाव से लागू करना अव्यावहारिक होगा अथवा इसमें अनावश्यक लागत या श्रम लगेगा तो वह भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 23-28, 50-53 एवं 54च के संदर्भानुसार भारतीय लेखा मानक 102 में इस संशोधन को लागू करेगा।

(ii) परिशिष्ट क में, 'इक्विटी लिखत' से सम्बंधित पाद टिप्पणी (फुटनोट) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

*" *भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संकल्पनात्मक कार्य पद्धति (संकल्पनात्मक कार्य पद्धति) दायित्व को ऐसे परिभाषित करता है कि दायित्व प्रतिष्ठान की पिछली-घटनाओं के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधन के अन्तरण की वर्तमान बाध्यता है। ";*

(ग) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)103" में,- अनुच्छेद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"11. अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता की अर्हता हेतु अधिग्रहीत की गयी पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण किये गये दायित्वों को अधिग्रहण तिथि पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा *जारी भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार करना उनकी प्रस्तुति विषयक कार्य पद्धति* * में दी गयी आस्तियों और दायित्वों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक अधिग्रहविति की गतिविधियों से हटने की योजना को लागू करने के लिए अधिग्रहणकर्त्ता लागतों को भविष्य में खर्च करने की आशा तो करता है लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है या वह अधिग्रहणिति के कर्मचारियों की सेवाओं के समापन या पुर्नस्थापन को अधिग्रहण तिथि पर दायित्व नहीं मानेगा। अतः अधिग्रहणकर्ता उन लागतों को अधिग्रहण विधि लागू करने के एक भाग के रूप में मान्यता नहीं देता है बल्कि अधिग्रहणकर्त्ता अन्य भारतीय लेखा मानक के अनुसार इन लागतों को संयोजन के पश्चात् वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है।";

(घ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 104" में,-

(i) अनुच्छेद 20 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"20क-20थ [देखें परिशिष्ट 1]

20द-20ध [देखें परिशिष्ट 1]";

(ii) अनुच्छेद 35 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"35क [देखें परिशिष्ट 1]

35ख-35ढ [देखें परिशिष्ट 1]";

(iii) अनुच्छेद 39क के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"39ख-39ङ [देखें परिशिष्ट 1]";

(iv) अनुच्छेद 40 से पूर्व, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

---

* इस मानक के लिए, अधिग्रहणकर्त्ताओं को 2021 में जारी *भारतीय लेखा मानकों के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति* की बजाय *भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक मूलभूत कार्य पद्धति* में दी गई एक आस्ति एवं एक बाध्यता की परिभाषा को लागू करना अनिवार्य है।

**"प्रभावी तिथि एवं संक्रमण"**

(v) अनुच्छेद 41झ के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"42-51 [देखें परिशिष्ट 1]";

(vi) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 3 एवं 4 को अनुच्छेद 4 एवं 5 के रूप में पुन: सांख्यकित किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. आई एफ आर एस 4 में ऐसे उपबंध हैं जो आई एफ आर एस 9 और आगामी बीमा अनुबंध मानक आई एफ आर एस 17 के विभिन्न प्रभावी तिथियों से उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आई एफ आर एस 4, दो वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है: आई एफ आर एस 9 का प्रयोग करने की अस्थाई छूट; और ओवरले (overlay) दृष्टिकोण। यह उन प्रतिष्ठानों को जो आई एफ आर एस 4 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंध जारी करते है निम्नलिखित दो विकल्प प्रदान करता है:-

- नया बीमा अनुबंध मानक जारी करने से पूर्व 'आई एफ आर एस' 9 के प्रयोग से उत्पन्न उतार-चढ़ाव को लाभ या हानि की बजाय अन्य व्यापक आय में मान्यता का विकल्प; एवं
- कंपनियों को, जो मुख्यतया बीमा कार्य से सम्बंधित है 2023 तक 'आई एफ आर एस' 9 को लागू करने से एक वैकल्पिक अस्थाई छूट देना।

उपर्युक्त वैकल्पिक अस्थाई छूटें भारतीय लेखा मानक 104 में नहीं दी गयीं हैं।

'आई एफ आर एस' 9 के प्रयोग से वैकल्पिक अस्थाई छूटों के संदर्भ में 'आई एफ आर एस' 4 में अनुच्छेदों 3 व 5 को संशोधित किया गया है और अनुच्छेद 20क-20थ, 35क-35ढ, 39ख-39ङ और 46-49 जोड़ दिए गए हैं। चूंकि अस्थाई वैकल्पिक छूटें भारतीय लेखा मानक 104 में नहीं दी गयी है, अतः भारतीय लेखा मानक 104 में इन अनुच्छेदों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, आई एफ आर एस 4 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 104 में जारी रखा गया है।

*ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2* में संशोधन के अंतर्गत आई एफ आर एस 4 में अनुच्छेद 20द-20ध जोड़े गये हैं जो यह निर्धारित करते है कि एक बीमाकर्ता जब आई एफ आर एस 9 की अस्थाई छूट को लागू करता है तो वह आई एफ आर एस 9 के अनुच्छेद संदर्भ के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 39 के कुछ अनुच्छेद संदर्भों को देखेगा। चूंकि अस्थाई वैकल्पिक छूटें भारतीय लेखा मानक 104 में नहीं दी गयी है, अतः भारतीय लेखा मानक 104 में इन अनुच्छेद संख्याओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, आई एफ आर एस 4 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 104 में जारी रखा गया है।";

(ग) पुन: संख्याकित अनुच्छेद 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. अनुच्छेद 40-41च 41ज और 42-51 प्रभावी तिथि एवं संक्रमण से संबंधित हैं और भारतीय लेखा मानक 104 में इसलिए शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। तथापि, आई एफ आर एस 4 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 104 में जारी रखा गया है।";

(ङ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105" में, 'परिशिष्ट क' में, "वसूली योग्य राशि" की परिभाषा में, शब्द '**ब्रिकी लागत** घटाकर **उचित मूल्य**' के स्थान पर शब्द '**निपटान की लागत** घटाकर **उचित मूल्य**' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(च) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106" में,-

(i) अनुच्छेद 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"10. खनिज संसाधनों के विकास पर किये गये खर्च की मान्यता खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में नहीं की जाएगी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की मूलभूत पद्धति* एवं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38, *अमूर्त आस्तियां,* विकास से उत्पन्न आस्तियों की मान्यता के लिए दिशा निर्देश देते हैं।";

(ii) अनुच्छेद 25 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"प्रभावी तिथि**

26 [देखें परिशिष्ट 1]

26क 2021 में जारी *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भों में संशोधन* के तहत अनुच्छेद 10 संशोधित हुआ। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को पहली अप्रैल 2021 को या इसके बाद से प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियों के* अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। लेकिन, यदि वह (प्रतिष्ठान) यह निर्धारित करता है कि पूर्व प्रभाव से इसे लागू करना अव्यावहारिक है अथवा इसमें अनावश्यक व्यय या श्रम लगेगा, तो वह भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों 23-28, 50-53 एवं 54च के संदर्भानुसार भारतीय लेखा मानक 106 में इस संशोधन को लागू करेगा।";

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"1. 'आई एफ आर एस' 6 का प्रभावी तिथि विषयक अनुच्छेद 26 भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। आई एफ आर एस 6 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 में इस आशय से नहीं दिये गये हैं कि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया, 'आई एफ आर एस' 1 *अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, *भारतीय लेखामानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित किये गये हैं।";*

(छ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 107" में,-

(i) अनुच्छेद 24छ के मद (ग) में, शब्द, संख्या, ब्रैकेट और अक्षर "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 6.7.4(ख)" के स्थान पर, शब्द, संख्या और अक्षर **"**भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 के अनुच्छेद 6.7.4**"** को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) अनुच्छेद 24ज के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन**

24झ वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता यह समझ सकें की ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार का प्रतिष्ठान की वित्तीय लिखतों व जोखिम प्रबंधन रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिष्ठान निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगाः-

(क) प्रतिष्ठान को ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति एवं मात्रा तथा वह प्रतिष्ठान इन जोखिमों का प्रबंधन कैसे करता है; एवं

(ख) वैकल्पिक बैंचमार्क दर के संक्रमण को पूरा करने में प्रतिष्ठान की प्रगति और प्रतिष्ठान संक्रमण का प्रबंधन कैसे कर रहा है।

24ञ उपर्युक्त 24झ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगाः-

(क) प्रतिष्ठान वैकल्पिक बैंचमार्क दरों के संक्रमण का प्रबंधन किस प्रकार कर रहा है, रिपोर्टिंग तिथि को इस कार्य में क्या प्रगति है और संक्रमण के कारण प्रतिष्ठानों को वित्तीय लिखतों से उत्पन्न किन-किन जोखिमों का प्रभाव पड़ सकता है।

indiaCode

(ख) ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के अधीन महत्त्वपूर्ण ब्याज-दर बैंचमार्क के द्वारा पृथक्कीकृत, वित्तीय विवरणों की परिणात्मक सूचना, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जिसका संक्रमण वैकल्पिक बैंचमार्क में होना अभी बाकी है, को निम्नलिखित में अलग अलग दिखाना:-

(i) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां;

(ii) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व; एवं

(iii) व्युत्पन्न; एवं

(ग) यदि उपर्युक्त अनुच्छेद 24ञ(क) में पाये गए जोखिमों से प्रतिष्ठान के जोखिम प्रबंधन रणनीति (देखें अनुच्छेद 22क) में कोई परिवर्तन आते हैं, तो इन परिवर्तनों का विवरण।";

(iii)अनुच्छेद 35क में, मद (क) में, शब्द, संख्या और अक्षर "अनुच्छेद 35ञ", के स्थान पर शब्द, संख्या अक्षर और ब्रैकेट "अनुच्छेद 35ञ(क)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) [1]

(v) अनुच्छेद "44घड." एवं "44घच" को अनुच्छेद "44ड.ड." एवं "44चच" के रूप में पुन: सांख्यकित किया जाएगा और पुन: संख्याकित अनुच्छेद 44चच के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-,

"44छछ *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2* जिसके अंतर्गत भारतीय लेखा मानक 109, भारतीय लेखा मानक 107, भारतीय लेखा मानक 104 व भारतीय लेखा मानक 116 को संशोधित करते हैं, अनुच्छेद 24झ-24ञ एवं 44जज को जोड़ते हैं। प्रतिष्ठान जब भारतीय लेखा मानक 109, भारतीय लेखा मानक 104 या भारतीय लेखा मानक 116 के संशोधनों को लागू करेगा तब इन संशोधनों को भी लागू करेगा।

44जज जिस रिपोर्टिंग अवधि में प्रतिष्ठान *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार चरण 2* को प्रथम बार लागू करता है, तो उसे (प्रतिष्ठान को) भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 28(च) द्वारा अन्यथा अपेक्षित सूचना का प्रकटन करना आवश्यक नहीं है।";

(vi) परिशिष्ट क में, अंतिम अनुच्छेद के नीचे दी गयी सूची में,

(क) मद **".**प्रभावी ब्याज विधि**"** के बाद मद ".प्रभावी ब्याज दर" को सम्मिलित किया जाएगा;

(ख) मद '.सकल अग्रणीत राशि' के स्थान पर मद '.वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत राशि' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) मद '.हानि रियायत' के बाद मद ".विगत देय" सम्मिलित किया जाएगा;

(vii) परिशिष्ट ख में,-

(क) अनुच्छेद ख8ख में, शब्द, संख्या, अक्षर और ब्रैकेट "अनुच्छेद 35च(च)(i) में उस सूचना", के स्थान पर शब्द, संख्या, अक्षर और ब्रैकेट "अनुच्छेद 35च(च)(ii) में उस सूचना" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद ख8झ में, शब्द और संख्या "अनुच्छेद 5.5.10", के स्थान पर, शब्द और संख्या "अनुच्छेद 5.5.11" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ज) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109" में,-

(i) अनुच्छेद 5.4.4 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में परिवर्तन**

[1] अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में कोई बदलाव आवश्यक नहीं है।

5.4.5 एक प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व पर अनुच्छेदों 5.4.6-5.4.9 को लागू करेगा, यदि, और केवल यदि, ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप उस वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रयोजन के लिए, 'ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार' शब्द अनुच्छेद 6.8.2 में यथा-परिभाषित ब्याज-दर बैंचमार्क के बाजार-दर सुधार को निर्दिष्ट करते हैं।

5.4.6 एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा हो सकता है:-

(क) वित्तीय लिखत की प्रारम्भिक मान्यता में विनिर्दिष्ट अनुबंधात्मक शर्तों में संशोधन द्वारा (उदाहरण के लिए, संदर्भित ब्याज-दर बैंचमार्क को वैकल्पिक बैंचमार्क दर द्वारा प्रतिस्थापित कर अनुबंधात्मक शर्तों को संशोधित करना);

(ख) एक प्रकार से जो वित्तीय लिखत की प्रारंभिक मान्यता पर, अनुबंधात्मक शर्तों में न तो माना गया - न मनन किया गया, उन अनुबंधात्मक शर्तों को संशोधित किए बिना;(उदाहरण के लिए, अनुबंधात्मक शर्तों के संशोधन के बिना ब्याज-दर बैंचमार्क की गणना की विधि में परिवर्तन); एवं/अथवा

(ग) वर्तमान अनुबंधात्मक शर्त की सक्रियता के कारण (जैसा कि, वर्तमान निष्क्रिय खंड सक्रिय हो गया हो)।

5.4.7 एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, एक प्रतिष्ठान ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार की अपेक्षानुसार एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में परिवर्तन के लेखांकन के लिए अनुच्छेद ख5.4.5 को लागू करेगा। यह व्यावहारिक उपाय केवल इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए और केवल उस सीमा तक ही लागू होता है जो ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के लिए अपेक्षित है (अनुच्छेद 5.4.9 भी देखें)। इस प्रयोजन के लिए, अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के द्वारा अपेक्षित परिवर्तन तभी होगा यदि, और केवल यदि, निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हो:-

(क) परिवर्तन ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप जरूरी हो, एवं

(ख) अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण का नवीन आधार पूर्ववर्ती आधार (यानि जो आधार परिवर्तन के तत्काल पहले था) के आर्थिक रूप से समान हो।

5.4.8 ऐसे परिवर्तनों के उदाहरण जो अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के नवीन आधार का निर्माण करते हैं और पूर्ववर्ती आधार (यानि जो आधार परिवर्तन के तत्काल पहले था) के आर्थिक रूप से समान हैं, इस प्रकार हैं :-

(क) एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण में प्रयुक्त वर्तमान ब्याज-दर बैंचमार्क को वैकल्पिक बैंचमार्क दर से बदलना अथवा ब्याज-दर बैंचमार्क की गणना की विधि में बदलाव करके वैकल्पिक विधि द्वारा ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार कार्यान्वित करना और वर्तमान ब्याज-दर बैंचमार्क एवं वैकल्पिक बैंचमार्क दर के आधारभूत अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक नियत विस्तार (फिक्सड स्प्रैड) जोड़ना;

(ख) ब्याज-दर बैंचमार्क में सुधार के कार्यान्वयन के लिए पुनर्निर्धारित अवधि, पुनर्निर्धारित तिथियों या कूपन भुगतान तिथियों के बीच के दिनों की संख्या में परिवर्तन; एवं

(ग) उपर्युक्त (क) व (ख) में यथा-उल्लिखित किसी भी परिवर्तन के कार्यान्वयन को संभव बनाने के लिए एक वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की अनुबंधात्मक शर्तों में निष्क्रिय प्रावधान (फालबैक प्रोविजन) जोड़ना।

5.4.9 ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण आधार में परिवर्तनों के अलावा किसी वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व में यदि कोई परिवर्तन किए जाते हैं, तो प्रतिष्ठान ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार में अपेक्षित परिवर्तनों को अनुच्छेद 5.4.7 में व्यावहारिक उपाय को पहले लागू करेगा फिर इस मानक की अपेक्षाएं अन्य अतिरिक्त उन परिवर्तनों में लागू करेगा जिन पर यह व्यावहारिक उपाय लागू नहीं होता है। यदि अतिरिक्त परिवर्तन वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की अमान्यता के रूप में परिणत

नहीं होता है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 5.4.3 अथवा अनुच्छेद ख5.4.6 में से जो भी अनुच्छेद लागू होता है उसे अतिरिक्त परिवर्तन के लेखे के लिए लागू करेगा। यदि अतिरिक्त परिवर्तन वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की अमान्यता में परिणत होता है तो प्रतिष्ठान अमान्यता अपेक्षाओं को लागू करेगा।";

(ii) अनुच्छेद 5.5.8 में, शब्द "*क्षतिग्रस्तता लाभ या हानि*" तिरछे होंगे ।

(iii) अनुच्छेद 6.5.10 में, शब्द "*मान्य ब्याज दर*" तिरछे होंगे ।

(iv) अनुच्छेद 6.8.12 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6.8.13 एक प्रतिष्ठान भावी प्रभाव से निम्नलिखित में से जो भी पहले होगा तब अनुच्छेद 6.8.7 व 6.8.8 लागू करना बन्द कर देगाः-

(क) जब अनुच्छेद 6.9.1 लागू करते हुए ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित परिवर्तन गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक पर लागू किए जाते हैं; अथवा

(ख) जब वह हैज़ संबंध समाप्त किया जाता है जिसमें नामोद्दिष्ट गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक शामिल है।

## 6.9 ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अतिरिक्त अस्थाई अपवाद

6.9.1 जैसे ही, हैजसंबंध (देखें अनुच्छेद 6.8.9-6.8.13) पर अनुच्छेदों 6.8.4-6.8.8 की अपेक्षाएं लागू होना बन्द हो जाती हैं, प्रतिष्ठान हैज संबंध की पहले से प्रलेखीकृत औपचारिक नामोदेशन का संशोधन करेगा ताकि ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित परिवर्तन प्रलक्षित हो सकें, दूसरे शब्दों में, ये परिवर्तन अनुच्छेद 5.4.6-5.4.8 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। इस संदर्भ में, हैज नामोदेशन का संशोधन सिर्फ निम्नलिखित एक या एक से अधिक परिवर्तनों को करने के लिए होगा:

(क) एक वैकल्पिक बैंचमार्क दर (अनुबंधात्मक या गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट) को हैज जोखिम के रूप में नामोदेशन;

(ख) नकदी प्रवाहों या हैजड उचित मूल्य के नामोदिष्ट भाग के विवरण सहित हैजड मद के विवरण का संशोधन; अथवा

(ग) हैज लिखत के विवरण का संशोधन।

6.9.2 यदि निम्नलिखित तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.9.1(ग) की अपेक्षाओं को भी लागू करेगाः-

(क) प्रतिष्ठान, हैज लिखत (अनुच्छेद 5.4.6 में यथा-वर्णित) के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण के आधार में परिवर्तन के अलावा, एक दृष्टिकोण का प्रयोग कर ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के लिए अपेक्षित परिवर्तन करता है;

(ख) मूल हैज लिखत को अमान्य नहीं किया जाता; एवं

(ग) चयनित दृष्टिकोण आर्थिक रूप में मूल हैज लिखत (अनुच्छेदों 5.4.7 व 5.4.8 में यथावर्णित) के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों के निर्धारण आधार में परिवर्तन के समान है।

6.9.3 अनुच्छेदों 6.8.4-6.8.8 की अपेक्षाएं अलग-अलग समय पर बन्द हो सकती हैं। अतःप्रतिष्ठान या तो अनुच्छेद 6.9.1 को लागू करते हुए अलग-अलग समयपर हैज संबंधों के औपचारिक नामोदेशन में संशोधन कर सकता है, या फिर किसी एक हैज संबंध के औपचारिक नामोदेशन को कई बार संशोधित कर सकता है। जब और केवल जब हैज नामोदेशन में परिवर्तन किया जाता है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 6.9.7-6.9.12 में से जो भी अनुच्छेद लागू होते हैं उनका प्रयोग करेगा। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.5.8 का (उचित मूल्य हैज के लिए) अथवा अनुच्छेद 6.5.11 (नकदी प्रवाह हैज के लिए) का प्रयोग भी हैजड मद अथवा हैज लिखत के उचित मूल्य में किसी भी परिवर्तन का लेखा करने के लिए करेगा।

6.9.4 प्रतिष्ठान, जिस रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में हैज जोखिम, हैजड मद या हैज लिखत में ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के लिए अपेक्षित कोई परिवर्तन करता है तो वह अनुच्छेद 6.9.1 की अपेक्षानुसार हैज संबंध में संशोधन करेगा। संदेह के निराकरण के लिए, हैज संबंध के औपचारिक नामोदेशन में इस प्रकार के संशोधन से न तो कोई हैज संबंध समाप्त होता है, और न ही कोई नया हैज संबंध बनता है।

6.9.5 यदि एक हैज संबंध में नामोद्दिष्ट (अनुच्छेदों 5.4.6-5.4.8 में यथावर्णित) अथवा हैज संबंध (अनुच्छेद 6.9.1 में यथापेक्षित के नामोद्देशन में) वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व में ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार में अपेक्षित परिवर्तनों के अलावा कोई और परिवर्तन किए जाते हैं तो प्रतिष्ठान पहले इस मानक की उन लागू अपेक्षाओं को प्रयोग करेगा जो यह निर्धारित करती हैं कि उन अतिरिक्त परिवर्तनों से हैज लेखा करना बन्द हो जाता है। यदि अतिरिक्त परिवर्तनों से हैज लेखा बन्द नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.9.1 में यथा-निर्दिष्ट हैज संबंध के औपचारिक नामोदेशन में संशोधन करेगा।

6.9.6 अनुच्छेद 6.9.7-6.9.13 केवल उन अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अपवाद प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठान इस मानक में सभी अन्य हैज लेखा अपेक्षाओं को लागू करेगा जिसमें अनुच्छेद 6.4.1 में उल्लिखित ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैज संबंधों का अर्हक मानदंड भी सम्मिलित रहेगा।

**अर्हक हैज संबंधों का लेखा**

**नकदी प्रवाह हैज**

6.9.7 अनुच्छेद 6.5.11 लागू करने के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद 6.9.1(ख) की अपेक्षानुसार हैजड मद के विवरण को जब प्रतिष्ठान संशोधित करता है तो नकदी प्रवाह हैज में जो भी राशि एकत्रित होगी यह माना/समझा जाएगा किवह राशि हैजड भावी नकदी प्रवाहों द्वारा निर्धारित वैकल्पिक बैंचमार्क दर पर आधारित है।

6.9.8 एक समाप्त हैज संबंध के लिए जब ब्याज-दर बैंचमार्क जिसपर हैज्ड भावी नकदी प्रवाह आधारित है, ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार की अपेक्षानुसार परिवर्तित होते है, यह निर्धारित करने के लिए कि हैजड भावी नकदी प्रवाहों के होने की आशा है अनुच्छेद 6.5.12 को लागू करने के प्रयोजन के लिए हैज संबंध के वास्ते नकद प्रवाह हैज आरक्षण में एकत्रित राशि यह समझी/मानी जाएगी कि वह वैकल्पिक बैंचमार्क दर जिस पर हैज भावी नकदी प्रवाह आधारित है।

**मदों के समूह**

6.9.9 जब एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 6.9.1 को मदों के समूहों पर लागू करता है,जो एक उचित मूल्य या नकदी प्रवाह हैज में हैजड मदों के रूप में नामोद्दिष्ट है तो वह (प्रतिष्ठान) हैजड मदों को हैज होने वाली ब्याज-दर बैंचमार्क के आधार पर उप-समूहों में आवंटित कर देगा और प्रत्येक उप-समूह के लिए ब्याज-दर बैंचमार्क को हैज होने वाले जोखिम के रूप में नामोद्दिष्ट कर देगा। उदाहरणार्थ, एक हैज संबंध, जिसमें ब्याज-दर बैंचमार्क में परिवर्तनों पर मदों का एक समूह हैज किया जाता है,ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के अधीन हैज नकदी प्रवाह या समूह की कुछ मदों का उचित मूल्य, समूह की अन्य मदों के परिवर्तन से पूर्व ही वैकल्पिक बैंचमार्क दर के संदर्भ में परिवर्तित हो जाता है। इस उदाहरण में, अनुच्छेद 6.9.1 को लागू करने के लिए, प्रतिष्ठान वैकल्पिक बैंचमार्क दर को हैज्ड मद के उ-पसमूह को हैज होने वाले जोखिम की तरह नामोद्दिष्ट करेगा। प्रतिष्ठान वैकल्पिक बैंचमार्क दर को हैज मदों के अन्य उप-समूह को नामोद्दिष्ट करना तब तक जारी रखेगा जब तक हैज्ड नकदी प्रवाह या उन मदों का उचित मूल्य वैकल्पिक बैंचमार्क दर के संदर्भ में बदला नहीं जाता अथवा मदें कालातीत होने पर वैकल्पिक बैंचमार्क दर के संदर्भ में हैज्ड मदों के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर दी जाती।

6.9.10 प्रतिष्ठान अलग-से इस बात का मूल्यांकन करेगा कि प्रत्येक उप-समूह अनुच्छेद 6.6.1 की अपेक्षाओं के अनुसार एक हैज्ड मद की पात्रता को पूरा करता है या नहीं। यदि कोई उप-समूह अनुच्छेद 6.6.1 की अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहता है तो प्रतिष्ठान सम्पूर्ण हैज संबंध के लिए हैज लेखा-प्रक्रिया को भावी रूप से बंद कर देगा। प्रतिष्ठान सम्पूर्ण हैज संबंध के अप्रभावशीलता के लेखे के लिए अनुच्छेदों 6.5.8 व 6.5.11 की अपेक्षाओं को भी लागू करेगा।

**जोखिम घटकों का नामोदेशन**

6.9.11 एक वैकल्पिक बैंचमार्क दर को, जो गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में नामोद्दिष्ट है और नामोद्दिष्ट की जाने वाली तिथि को अलग-से पहचान योग्य नहीं है (देखे अनुच्छेद 6.3.7(क) व ख6.3.8), यह मान लिया जाएगा कि वह उस तिथि को अपेक्षा पूरी करता है, यदि और केवल यदि, प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि 24 माह के भीतर वैकल्पिक बैंचमार्क दर अलग-से पहचान योग्य है। 24 माह की अवधि प्रत्येक वैकल्पिक बैंचमार्क दर पर अलग-अलग लागू होती है और वह उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक बैंचमार्क दर को गैर अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में प्रथम बार नामोद्दिष्ट करता है (अत: 24 माह की अवधि दर-व-दर आधार पर लागू होगी)।

6.9.12 यदि बाद में, प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि वैकल्पिक बैंचमार्क दर को उस तिथि से 24 माह के अन्दर अलग-से पहचान नहीं सकता है जिस पर प्रतिष्ठान ने इसे गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में नामोद्दिष्ट किया था, तो प्रतिष्ठान उस वैकल्पिक बैंचमार्क दर पर अनुच्छेद 6.9.11 की अपेक्षा लागू करना बन्द कर देगा और भावी रूप से हैज लेखा प्रक्रिया को बंद कर देगा जिस तिथि से उन सभी हैज संबंधों जिनमें वैकल्पिक बैंचमार्क दर को गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में पुनर्मूल्यांकन हुआ है।

6.9.13 अनुच्छेद 6.9.1 में विनिर्दिष्ट हैज संबंधों के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 6.9.11 व 6.9.12 की अपेक्षाओं को उन नए हैज संबंधों पर लागू करेगा जिनमें एक वैकल्पिक बैंचमार्क दर एक गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में नामोद्दिष्ट की गयी है (देखें अनुच्छेद 6.3.7(क) व ख 6.3.8) और जब, ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के कारण, वह जोखिम घटक नामोद्दिष्ट करने की तिथि पर अलग-से पहचान योग्य नहीं है।";

(v) अनुच्छेद 7.1.8 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7.1.9 [देखें परिशिष्ट 1]

7.1.10 *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2* के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक 109, भारतीय लेखा मानक 107, भारतीय लेखा मानक 104 एवं भारतीय लेखा मानक 116 संशोधित किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 5.4.5-4.9, 6.8.13, खंड 6.9 एवं अनुच्छेद 7.2.43-7.2.46 जोड़े गए हैं। प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2021 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा।";

(vi) अनुच्छेद 7.2.34 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7.2.35-7.2.42 [देखें परिशिष्ट 1]

***ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2 का संक्रमण***

7.2.43 एक प्रतिष्ठान *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2* को अनुच्छेदों 7.2.44-7.2.46 में यथा-विनिर्दिष्ट को छोड़कर भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा।

7.2.44 एक प्रतिष्ठान एक नवीन हैज संबंध (जैसे कि अनुच्छेद 6.9.13 में विनिर्दिष्ट किया गया है) भावी रूप से नामोद्दिष्ट करेगा (अर्थात् एक प्रतिष्ठान एक नवीन हैज लेखा संबंध को पूर्ववर्ती अवधियों में नामोद्दिष्ट नहीं कर सकता)। फिर भी, एक प्रतिष्ठान, केवल और केवल निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर एक बन्द किए गए हैज संबंध को पुनर्बहाल करेगा:-

(क) प्रतिष्ठान ने उस हैज संबंध को केवल ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार की अपेक्षा के कारण बन्द किया था और यदि ये संशोधन उस समय लागू होते तब उसे प्रतिष्ठान यह हैज संबंध बन्द करना आवश्यक न होता; एवं

(ख) उस रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में जिसमें प्रतिष्ठान इन संशोधनों को प्रथम बार लागू करता है (इन संशोधन को लागू करने की प्रारंभिक तिथि) वह बन्द किया गया हैज संबंध हैज लेखे का अर्हक मानदंड पूरा करता है (इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए)।

7.2.45 यदि, अनुच्छेद 7.2.44 को लागू करते हुए, कोई प्रतिष्ठान बन्द किए गए हैज संबंध की पुनर्बहाली करता है, तो वह (प्रतिष्ठान) अनुच्छेदों 6.9.11 व 6.9.12 के संदर्भ उस तिथि तक पढ़ेगा जिस तिथि को वैकल्पिक बैंचमार्क दर गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में प्रथमबार नामोद्दिष्ट की गयी थी और वह इन संशोधनों को लागू करने की प्रारंभिक तिथि थी (यानि गैर-अनुबंधात्मक विशिष्ट जोखिम घटक के रूप में नामोद्दिष्ट वैकल्पिक बैंचमार्क दर की 24 माह की अवधि इन संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि से प्रारंभ होती है)।

7.2.46 एक प्रतिष्ठान को इन संशोधनों के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए पूर्ववर्ती अवधियों के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठान इन पूर्व अवधियों का पुनर्कथन तभी कर सकता है यदि, और केवल यदि, उसके लिए यह करना पश्चवृष्टि का प्रयोग किए बिना संभव हो। यदि प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों का पुनर्कथन नहीं करता तो वह (प्रतिष्ठान) गत अग्रणीत (कैरिंग) राशि एवं उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ की अग्रणीत राशि जिसमें संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि भी सम्मिलित हो, के बीच किसी प्रकार के अन्तर, उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की जिसमें संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि भी सम्मिलित हो को प्रतिधारित अर्जन की प्रारंभिक राशि (या इक्विटी का अन्य घटक इनमें से जो भी उपर्युक्त हो) में मान्यता देगा।"

(vii) परिशिष्ट क में,-

(क) शीर्षक **'प्रभावी ब्याज विधि'** के स्थान पर शीर्षक "**प्रभावी ब्याज दर"** प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ख) प्रतिस्थापित शीर्षक **'प्रभावी ब्याज दर'** और उसके लेख से पहले, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**प्रभावी ब्याज विधि** वह विधि जो एक वित्तीय आस्ति या **वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत** की गणना और संबंधित अवधि के लाभ या हानि के ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय के आबंटन व मान्यता के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है।";

(viii)[2]

(ix) परिशिष्ट 1 में,-

(क) अनुच्छेद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. भारतीय लेखा मानक 109 में आई एफ आर एस 9 के प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद 7.1.1 से 7.1.3 सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। अनुच्छेद 7.1.6 इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह आई एफ आर एस 17 *बीमा अनुबंध* जारी किए जाने से संशोधनों के संबंध में चर्चा करता है और इसके समरूप भारतीय लेखा मानक अभी तैयार किया जा रहा है। अनुच्छेद 7.1.9 भी सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह आई एफ आर एस 9 के अनुच्छेद ख3.3.6 का संशोधन है जिसके समरूप भारतीय लेखा मानक 109 में संशोधन किए जा रहे हैं। तथापि आई एफ आर एस 9 के अनुच्छेद संख्या के साथ एकरूपता बनाए रखने के लिए, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है।";

[2] अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में कोई बदलाव आवश्यक नहीं है।

(ख) अनुच्छेद 4 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5 आई एफ आर एस 9 के अनुच्छेद 7.2.35 से 7.2.42 उन संशोधनों/मानक से सम्बंधित हैं जो अभी प्रभावी नहीं है, अतः भारतीय लेखा मानक 109 में सम्मिलित नहीं किये गए हैं। तथापि, आई एफ आर एस 9 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है।";

(झ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 111" में, अनुच्छेद 21(क) में, शब्द, अक्षर संख्या और "भारतीय लेखा 103 के अनुसार" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और संख्या "भारतीय लेखा मानक 103, 'व्यावसायिक संयोजन के अनुसार', को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ञ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 114" में,-

(i) अनुच्छेद 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"13 प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देना प्रारंभ करने के लिए अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगा। नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन केवल तभी कर सकता है यदि वह परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है न तो कम विश्वसनीय[3] या अधिक विश्वसनीय बनाता है और उनके लिए कम प्रासंगिक नहीं है एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदंड का प्रयोग करते हुए उस प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता का निर्णय करेगा।"**

(ट) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115" में,-

(i)परिशिष्ट घ में, अनुच्छेद 27 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

| "**प्रभावी तिथि** |
|---|
| 28 [देखें परिशिष्ट1] |
| 28क-28ग [देखें परिशिष्ट1] |
| 28घ भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 के परिशिष्ट 'घ' (जो पूर्ववर्ती भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट 'क' के रूप में अधिसूचित था) के अनुच्छेदों 13-15, 18-20 व 27 का संशोधन किया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा। |
| 28ङ [देखें परिशिष्ट 1] |
| 28च भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 116 के अनुच्छेद कब्ज8 को संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 116 का प्रयोग करते समय इस संशोधन को भी लागू करेगा।" |

(ii) परिशिष्ट 1 में,-

(क) अनुच्छेद 6 में,

(i) आरंभ के अनुच्छेद के स्थान पर, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

[3]भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की मूलभूत पद्धति में प्रयुक्त शब्द "विश्वसनीय प्रतिनिधित्व" उन्ही मुख्य विशेषताओं को धारण करता है जो भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतिकरण के लिए मूलभूत पद्धति में शब्द "विश्वसनीयता" कहलाता है। इस मानक के अनुच्छेद 13 की अपेक्षा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 की अपेक्षाओं पर आधारित है जो शब्द 'विश्वसनीय' को प्रतिधारित करता है।

IndiaCode

"6. परिशिष्ट 'ग' के अनुच्छेद ग1ख, ग8क व ग9 और परिशिष्ट 'घ' के अनुच्छेद 28 व 28ङ, जो प्रभावी तिथि एवं संक्रमणकाल से संबंधित हैं, निम्नलिखित कारणों से हटा दिए गए हैं:-";

(ii) मद(ख) के पश्चात्, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) चूंकि परिशिष्ट 'घ' के अनुच्छेद 28 व 28ङ 'आई एफ आर आई सी'12 प्रभावी तिथि से संबंधित हैं अतः ये अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।";

(ख) अनुच्छेद 7 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद होगा, अर्थात्:-

"7. 'आई एफ आर एस'15 के परिशिष्ट 'ख' का अनुच्छेद ख57, और 'आई एफ आर आई सी'12 के अनुच्छेद 28क-28ग 'हटाए गए' प्रदर्शित किए गए हैं। फिर भी, 'आई एफ आर एस'15 व 'आई एफ आर आई सी'12 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के आशय से भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 115 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।";

(ठ) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 116" में,-

(i) अनुच्छेद 46ख में, मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) पट्टा भुगतान में किसी प्रकार की कमी की जाने पर 30 जून, 2022 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतान प्रभावित होते है। (उदहारण के लिए, कोई किराया रियायत उसी स्थिति में इस शर्त को पूरा करेगी जब इससे 30 जून 2022 या इससे पूर्व पट्टा भुगतान में कमी आये और 30 जून 2022, के बाद पट्टा भुगतान में वृद्धि हो); और" ;

(ii) अनुच्छेद 103 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार से उत्पन्न अस्थाई अपवाद**

104 एक पट्टेदार उन समस्त पट्टा संशोधनों के लिए अनुच्छेदों 105-106 को लागू करेगा जो ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार (देखें भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद संख्या 5.4.6 एवं 5.4.8) के परिणामस्वरूप भविष्य के पट्टा भुगतान निर्धारित करने के आधार को परिवर्तित कर देते हैं। ये अनुच्छेद केवल इस प्रकार के पट्टा संशोधनों पर ही लागू होते हैं। इस प्रयोजन के लिए शब्द 'ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार' भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.8.2 में यथा-वर्णित ब्याज-दर बैंचमार्क के बाजार-भर सुधार से संबंधित हैं।

105 एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, एक पट्टेदार ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित एक पट्टा सुधार के लेखे के लिए अनुच्छेद 42 का प्रयोग करेगा। यह व्यावहारिक उपाय केवल इस प्रकार के संशोधनों पर ही लागू होता है। इस प्रयोजन के लिए एक पट्टा संशोधन ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा तभी और केवल तभी अपेक्षित है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:-

(क) संशोधन ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार के प्रत्यक्ष परिणाम के फलस्वरूप आवश्यक है; एवं

(ख) पट्टा भुगतान के निर्धारण का नवीन आधार पूर्ववर्ती आधार (यानि जो आधार संशोधन के तत्काल पहले था) से आर्थिक रूप में समतुल्य (समान) है।

106 तथापि, यदि पट्टा संशोधन उन पट्टा संशोधनों के अलावा किए जाते है जो ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित हैं, तो पट्टेदार ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार द्वारा अपेक्षित संशोधनों सहित सभी पट्टा संशोधनों के लेखे के लिए इस मानक की लागू अपेक्षाओं का भी साथ-साथ प्रयोग करेगा।";

(iii) परिशिष्ट ग में,

(क) अनुच्छेद ग1क के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ग1ख *ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार-चरण 2* के अंतर्गत, जो भारतीय लेखा मानक 109, भारतीय लेखा मानक 107, भारतीय लेखा मानक 104 एवं भारतीय लेखा मानक 116 का संशोधन करते है, अनुच्छेद 104-106 एवं ग20ग-ग20घ भी जोड़ते हैं। एक प्रतिष्ठान इन

संशोधनों को 1 अप्रैल 2021 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।

ग1ग *30 जून, 2021 के पश्चात् कोविड-19 से संबंधित किराया रियायतें* के तहत अनुच्छेद 46ख संशोधित हुआ एवं अनुच्छेद ग20खक- ग20खग जोड़े गए। एक पट्टेदार इस संशोधन को पहली अप्रैल, 2021 को या इसके पश्चात् की तिथि से प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा। यदि एक पट्टेदार ने इस संशोधन के जारी होने से पूर्व वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित नहीं किया है तो वह इसे पहली अप्रैल, 2020 को या इसके पश्चात् की तिथि से प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू कर सकता है।"

(ख) अनुच्छेद ग20ख के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ग20खक एक पट्टेदार *30 जून, 2021 के पश्चात् कोविड-19 से संबंधित किराया रियायतें* (देखें अनुच्छेद ग1ग) पूर्व प्रभाव से लागू करेगा और वह उस वार्षिक रिपोर्टिंग की अवधि के प्रारंभ में, जिसमें कि पट्टेदार इस संशोधन को प्रथमवार लागू करता है, इस संशोधन को प्रारंभ से लागू करने के संचित प्रभाव को, प्रतिधारित अर्जनों (या इक्विटी के अन्य घटक, जो उपयुक्त हैं) में समायोजन के रूप में मान्यता देगा।

ग20खख उस रिपोर्टिंग अवधि में, जिसमें पट्टेदार *30 जून, 2021 के पश्चात् कोविड-19 से संबंधित किराया रियायतों* को प्रथम बार लागू करता है तो उसे (पट्टेदार को) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 के अनुच्छेद 28(च) द्वारा अपेक्षित सूचना प्रकट करना आवश्यक नहीं है।

ग20खग इस लेखा मानक के अनुच्छेद 2 को लागू करते हुए एक पट्टेदार अनुच्छेद 46क में दिए गए व्यावहारिक उपाय को समरूप परिस्थितियों में समान रूप से उन सभी पात्र अनुबंधों पर लागू करेगा जिनकी विशेषताएं समरूप है, बेशक अनुबंध, पट्टेदार *कोविड-19 से संबंधित किराया रियायतें* (देखें अनुच्छेद ग1क) या *30 जून, 2021 के पश्चात् कोविड-19 से संबंधित किराया रियायतें* (देखें अनुच्छेद ग1ग) को लागू करने के परिणामस्वरूप व्यावहारिक उपाय के लिए पात्र हैं।

***ब्याज-दर बैंचमार्क सुधार- चरण 2***

ग20ग एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को पूर्वप्रभाव से भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में, अनुच्छेद ग20घ में यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर, लागू करेगा।

ग20घ एक प्रतिष्ठान को इन संशोधनों के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए पूर्ववर्ती अवधियों के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों का पुनर्कथन तब कर सकता है, यदि और केवल यदि, उसके लिए यह करना पश्चदृष्टि का प्रयोग किए बिना संभव हो। यदि प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों का पुनर्कथन नहीं करता तो वह (प्रतिष्ठान) गत अग्रणीत (कैरिंग) राशि एवं उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ की अग्रणीत राशि जिसमें संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि भी सम्मिलित हो, के बीच किसी प्रकार के अन्तर, उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की जिसमें संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग की तिथि भी सम्मिलित हो को प्रतिधारित अर्जन की प्रारंभिक राशि (या इक्विटी का अन्य घटक इनमें से जो भी उपर्युक्त हो) में मान्यता देगा।"

(ड) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1" में,-

(i) अनुच्छेद 15 में, शब्द 'कार्य-पद्धति ढांचे' के लिए शब्द "**भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति (संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति) ढांचे"***प्रतिस्थापित किया जाएगा**;**

(ii) अनुच्छेद 19 में, शब्द '**कार्य-पद्धति ढांचे में**' के स्थान पर, **"संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति में"** प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) अनुच्छेद 20 में, मद (ग) में शब्द ***'कार्य-पद्धति ढांचे'*** के स्थान पर, शब्द ***'संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति'***, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) अनुच्छेद 23 में, दो स्थान पर आने वाले शब्द ***'कार्य-पद्धति ढांचे'*** के स्थान पर शब्द ***'संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति'***, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) अनुच्छेद 24 में, दो स्थान पर आने वाले शब्द 'कार्य-पद्धति ढांचे' के स्थान पर, शब्द *'संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति'*, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) अनुच्छेद 28 में, शब्द *'कार्य-पद्धति ढांचे'* के स्थान पर, शब्द *'संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति',* प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) अनुच्छेद 89 में, शब्द '*कार्य-पद्धति ढांचे'* के स्थान पर, शब्द *'संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति*', प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii)[4]

(ix) अनुच्छेद 139ध के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"139ध. 2021 में जारी *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भों के संशोधन* के तहत अनुच्छेद 15,19-20, 23-24, 28 व 89 संशोधित हुए। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को पहली अप्रैल 2021 से या इसके पश्चात् प्रारम्भ वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। प्रतिष्ठान इन संशोधनों को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1, में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। लेकिन, यदि वह प्रतिष्ठित यह निर्धारित करता है कि इसे पूर्व प्रभाव से लागू करना अव्यावहारिक है अथवा इसमें अनावश्यक व्यय या यह श्रम लगेगा तो वह भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 23-28,50-53 एवं 54च के संदर्भानुसार भारतीय लेखा मानक 1 में इन संशोधनों को लागू करेगा।";

(x) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10. संक्रमणकाल एवं प्रभावी तिथि से सम्बधित अनुच्छेदों 139 से 139ड और 139ण-139त को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अनुच्छेद 139द अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 17 बीमा अनुबंध से संबंधित है जिसका तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक अभी निर्माणाधीन है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस)1 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से ये अनुच्छेद संख्याएं भारतीय लेखा मानक 1 में जारी रखी गयी हैं।";

(ढ) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 में, –

(i) अनुच्छेद 11 में, मद(ख) में शब्द ***'कार्य-पद्धति ढांचे'*** के लिए शब्द **"भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति (संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति)'ढांचे"*** प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) अनुच्छेद 54च एवं 54छ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"54च. 2021 में जारी *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भों के संशोधन के तहत* अनुच्छेद 11(ख) संशोधित हुआ। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को पहली अप्रैल, 2021 से या इसके पश्चात् प्रारंभ वार्षिक अवधियों से लागू करेगा। प्रतिष्ठान अनुच्छेद 11(ख) में संशोधनों को इस

[4] अधिसूचना के हिंदी अनुवाद में कोई बदलाव आवश्यक नहीं है।

[*] अनुच्छेद 54छ यह स्पष्ट करता है कि नियामक लेखा शेषों के लिए इस अपेक्षा का संशोधन कैसे किया गया है।

मानक के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। लेकिन, यदि वह (प्रतिष्ठान) यह निर्धारित करता है कि इसे पूर्व प्रभाव से लागू करना अव्यावहारिक है अथवा इसमें अनावश्यक व्यय या श्रम लगेगा, तो वह इस मानक के अनुच्छेद 11(ख) के संशोधन को इस मानक के अनुच्छेद 23-28 के संदर्भ में लागू करेगा। यदि *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्यपद्धति के संदर्भों* में संशोधनों में कोई संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू करने में अनावश्यक व्यय या श्रम लगेगा तो, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेदों 23-28 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 27 के अंतिम वाक्य को छोड़कर, अव्यवहार्य के किसी भी संदर्भ को 'अनावश्यक व्यय या श्रम लगता है' और 'व्यवहार्य' के संदर्भ को 'अनावश्यक व्यय या श्रम के बिनां सभव है' के रूप में पढ़ेगा।

54छ यदि एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 114 *नियामक आस्थगन लेखे,* को लागू नहीं करता है तो वह (प्रतिष्ठान) नियामक लेखा शेषों पर अनुच्छेद 11(ख) को लागू करने में, 2020 में जारी *संकल्पनात्मक कार्य पद्धति* की बजाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी *भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतिकरण के लिए मूलभूत पद्धति* में परिभाषाओं, मान्यता मानदंड और माप संकल्पनाओं को जारी रखेगा और उनकी उपयुक्ता पर विचार करेगा। 'नियामक लेखा शेष' एवं 'दर नियामक' का अर्थ भारतीय लेखा मानक 114 में दी गई परिभाषा के अनुसार है।";

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"5. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 8 के अनुच्छेद 54-54ङ प्रभावी तिथि एवं संक्रमणकाल से संबंधित हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वे भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं।फिर भी, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 8 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से भारतीय लेखा मानक 8 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।";

(ण) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12", के अनुच्छेद 29 में, मद (क) के उप-मद (i) में, शब्द और चिह्न, "परिणामस्वरुप है।" जो कि दूसरे वाक्य के अन्त में दिया हुआ है, के स्थान पर, शब्द और चिह्न "परिणामस्वरुप है; और", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(त) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16", के अनुच्छेद 6 में, शब्द **"*वसूली योग्य राशि* किसी आस्ति के उचित मूल्य से बिक्री लागत घटाकर जो राशि शेष रहती है और इसके प्रयोग में मूल्य की राशि, इन दोनों में से जो राशि अधिक है उसे वसूली योग्य राशि कहा जाता है"** के स्थान पर शब्द **"*वसूली योग्य राशि* किसी आस्ति के उचित मूल्य से निपटान लागत घटाकर जो राशि शेष रहती है और इसके प्रयोग में मूल्य की राशि, इन दोनों में से जो राशि अधिक है उसे वसूली योग्य राशि कहा जाता है"** को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(थ) "भारतीय लेखा मानक (एंड ए एस) 27" में, अनुच्छेद 15 में, शब्द और संख्याओं "अनुच्छेद 16 और 17" के स्थान पर शब्द और संख्याओं "अनुच्छेद 16-17" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(द) "भारतीय लेखा मानक (एंड ए एस) 28" में, अनुच्छेद 42 में, शब्द "विक्रय लागत घटाकर" के स्थान पर शब्द "निपटान लागत घटाकर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ध) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34" में,–

(i) अनुच्छेद 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"31 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति (संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति) के अंतर्गत मान्यता, एक मद, जो वित्तीय विवरणों के घटकों में से किसी एक घटक की परिभाषा पूरी करती है को तुलनपत्र या लाभ-हानि विवरण में शामिल करने के लिए ग्रहण करने की प्रक्रिया है। वार्षिक एवं अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में मान्यता के लिए आस्तियों, दायित्वों, आय व व्यय की परिभाषाएं आधारभूत तत्व है।"

(ii) अनुच्छेद 33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"33 आय (राजस्व) व व्यय की आवश्यक विशेषता यह है कि आस्तियों व दायित्वों के संबंधित अन्तर्प्रवाह व बहिर्प्रवाह पहले ही हो चुके हैं। यदि ये अंतर्प्रवाह या बाह्यप्रवाह हो चुके है तो संबंधित राजस्व व व्यय को मान्यता दी जाती है अन्यथा यह मान्यता नहीं दी जाती है। *संकल्पनात्मक कार्यपद्धति* तुलनपत्र में उन मदों की मान्यता की अनुमति नहीं देती है जो आस्तियों या दायित्वों की परिभाषा को पूरा नहीं करती हो।";

(iii) अनुच्छेद 58 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"58 2021 *में जारी भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्यपद्धति के संदर्भों में संशोधन के तहत* अनुच्छेद 31 व 33 संशोधित हुए। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को पहली अप्रैल, 2021 से या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 *लेखा नितियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियों* के अनुसरण में इन संशोधनों को पूर्व प्रभाव से निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 पर लागू करेगा। लेकिन, यदि वह (प्रतिष्ठान) यह निर्धारित करता है कि इस मानक पर पूर्व प्रभाव से ये संशोधन लागू करना अव्यवहार्य है या इसमें अनावश्यक व्यय या श्रम लगेगा, तो वह भारतीय लेखा मानक 34 में इन संशोधनों को इस मानक के अनुच्छेद 43-45 और भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 23-28, 50-53 व 54च के संदर्भ में लागू करेगा।";

(iv) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में अनुच्छेद 46-54 व 56-57 सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 34 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रही इस आशय से इन अनुच्छेदों को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 में रहने दिया गया है।";

(न) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 37" में, अनुच्छेद 10 में, शब्द 'दायित्व' की परिभाषा में शब्द 'दायित्व' के बाद, चिन्ह (*) व निम्नलिखित अनुरूप एक पाद टिप्पणी (फुटनोट) सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा 2021 में जारी भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति में दायित्व की परिभाषा में संशोधन के पश्चात् इस मानक में दायित्व की परिभाषा का संशोधन नहीं किया गया है।";

(प) "भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 38" में-

(i) अनुच्छेद 8 में शब्द 'आस्ति' की परिभाषा में शब्द 'आस्ति' के बाद, चिन्ह "*" व निम्नलिखित अनुरूप एक पाद टिप्पणी (फुट नोट) सम्मिलित किया जाएगा है, अर्थात्:-

"*भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा 2021 में जारी भारतीय लेखा मानकों के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति में आस्ति की परिभाषा में संशोधन के पश्चात् इस मानक में आस्ति की परिभाषा का संशोधन नहीं किया गया है।"

(ii) अनुच्छेद 114 में, शब्द, अक्षर और संख्याओं "भारतीय लेखा मानक 115, *ग्राहकों के साथ अनुबंधो से राजस्व"* के स्थान पर, शब्द, अक्षर और संख्याओं "भारतीय लेखा मानक 115" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(iii) परिशिष्ट क में,

(क) अनुच्छेद 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. यह परिशिष्ट वेबसाइट के लिए हार्डवेयर खरीदने के लिए किए गए खर्च, उसे विकसित करने तथा ऑपरेटिंग हार्डवेयर पर किए गए खर्च (जैसे वेबसाइट, स्टेजिंग सर्वर, उत्पादन सर्वर और इंटरनेट कनेक्शन) पर लागू नहीं है। ऐसा खर्च भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16, के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जब प्रतिष्ठान किसी ऐसे इंटरनेट सेवा प्रदाता पर खर्च करता है जो

प्रतिष्ठान की वेबसाइट का होस्ट हो तो वह खर्च भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 1, के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के अंतर्गत व्यय की मान्यता में आता है जब सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।";

(ख) अनुच्छेद 10 के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"प्रभावी तिथि**

2020 में जारी *भारतीय लेखा मानकों में संकल्पनात्मक कार्य-पद्धति के संदर्भों में संशोधन* के तहत अनुच्छेद 5 संशोधित हुआ। एक प्रतिष्ठान इस संशोधन को पहली अप्रैल, 2021 से या इसके पश्चात् से प्रारंभ वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। प्रतिष्ठान परिशिष्ट 'क' में इस संशोधन को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) *8 लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। लेकिन, प्रतिष्ठान यदि यह निर्धारित करता है कि इसे पूर्व प्रभाव से लागू करना अव्यवहार्य होगा या इसमें अनावश्यक लगता या श्रम लगेगा, तो वह परिशिष्ट 'क' में संशोधन को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 23-58, 50-53 व 54च के संदर्भ में लागू करेगा।";

(फ) "भारतीय लेखा मानक (एंड ए एस) 40" में, अनुच्छेद 7 में, शब्द, अक्षर और संख्या "भारतीय लेखा मानक 116" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और संख्या "भारतीय लेखा मानक 116, *पट्टे*" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 01/01/2009-सीएल-V (पार्ट.IX)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित कि गए थे और उसके पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365(अ), तारीख 30 मार्च, 2016, संख्या सा.का.नि. 258(अ), तारीख 17 मार्च, 2017, संख्या सा.का.नि. 310 (अ), तारीख 28 मार्च, 2018, संख्या सा.का.नि. 903(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018, संख्या सा.का.नि 273(अ), तारीख 30 मार्च, 2019, संख्या सा.का.नि 274(अ), तारीख 30 मार्च, 2019 और संख्या सा.का.नि. 463 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधन किए गए।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

**G.S.R. 419(E).**—In exercise of the powers conferred by section 133, read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)",-

(A) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 101", in "Appendix B",-

(i) in paragraph B1, for item (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d) classification and measurement of financial instruments (paragraphs B8-B8C); ";

(ii) for heading before paragraph B8, the following shall be substituted, namely:-

"**Classification and measurement of financial instruments**";

(B) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 102", -

(i) after paragraph 63D, the following shall be inserted, namely:-

"63E *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021 amended the footnote to the definition of an equity instrument in Appendix A. An entity shall apply that amendment for annual periods beginning on or after 1 April, 2021. An entity shall apply the amendment to Ind AS 102 retrospectively, in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendment to Ind AS 102 by reference to paragraphs 23–28, 50–53 and 54F of Ind AS 8.";

(ii) in Appendix A, for the footnote relating to "equity instrument", the following shall be substituted, namely:-

"* *The Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* (Conceptual Framework) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, defines a liability as a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events.";

(C) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 103", for paragraph 11, the following shall be substituted, namely:-

"11 To qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must meet the definitions of assets and liabilities in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards*[*] issued by the Institute of Chartered Accountants of India at the acquisition date. For example, costs the acquirer expects but is not obliged to incur in the future to effect its plan to exit an activity of an acquiree or to terminate the employment of or relocate an acquiree's employees are not liabilities at the acquisition date. Therefore, the acquirer does not recognise those costs as part of applying the acquisition method. Instead, the acquirer recognises those costs in its post-combination financial statements in accordance with other Ind AS.";

(D) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 104", -

(i) after paragraph 20, the following shall be inserted, namely:-

"20A-20Q [Refer Appendix 1]

20R-20S [Refer Appendix 1]";

(ii) after paragraph 35, the following shall be inserted, namely:-

"35A [Refer Appendix 1]

35B-35N [Refer Appendix 1]";

(iii) after paragraph 39A, the following shall be inserted, namely:-

"39B-39M [Refer Appendix 1]";

(iv) for heading before paragraph 40, the following shall be substituted, namely:-

"**Effective date and transition**";

(v) after paragraph 41I, the following shall be inserted, namely:-

"42-51 [Refer Appendix 1]";

(vi) in Appendix 1,

[*]For this Standard, acquirers are required to apply the definitions of an asset and a liability given in *Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* rather than the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards issued in 2021.*

(a) paragraph 3 and 4 shall be renumbered as 4 and 5 respectively;

(b) after paragraph 2, the following shall be inserted, namely:-

"3. IFRS 4 contains provisions that address concerns arising from the different effective dates of IFRS 9 and the forthcoming Insurance Contracts Standard, IFRS 17. IFRS 4 provides two optional approaches: a temporary exemption from applying IFRS 9; and an overlay approach. It provides the following two options for entities that issue insurance contracts within the scope of IFRS 4:

- the option to recognise in other comprehensive income, rather than profit or loss, the volatility that could arise when IFRS 9 is applied before the new insurance contracts Standard is issued; and
- give companies whose activities are predominantly connected with insurance an optional temporary exemption from applying IFRS 9 until 2023.

The above optional temporary exemptions have not been provided under Ind AS 104.

In the context of optional temporary exemptions from applying IFRS 9, paragraphs 3 and 5 have been amended and paragraphs 20A-20Q, 35A-35N, 39B-39M, 46-49 have been added in IFRS 4. Since temporary optional exemptions have not been provided under Ind AS 104, these paragraphs have not been included in Ind AS 104. However, paragraph numbers have been retained in Ind AS 104 to maintain consistency with IFRS 4.

Amendments to *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2* added paragraphs 20R-20S in IFRS 4 which prescribes that an insurer applying the temporary exemption from IFRS 9 shall read certain paragraph references of IAS 39 in place of paragraph references of IFRS 9. Since temporary optional exemptions have not been provided under Ind AS 104, these paragraphs have not been included in Ind AS 104. However, paragraph numbers have been retained in Ind AS 104 to maintain consistency with IFRS 4.";

(c) for paragraph 5, as so re-numbered, the following shall be substituted, namely:-

"5. Paragraphs 40-41F, and 41H, and 42-51 related to effective date and transition have not been included in Ind AS 104 as these are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 4, these paragraph numbers are retained in Ind AS 104.";

(E) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 105", in "Appendix A", in the definition of "recoverable amount", for the words "**fair value** less **costs to sell**", the words "**fair value** less **costs of disposal**" shall be substituted;

(F) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 106", -

(i) for paragraph 10, the following shall be substituted, namely:-

"10 Expenditures related to the development of mineral resources shall not be recognised as exploration and evaluation assets. The *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* issued by the Institute of Chartered Accountants of India and Ind AS 38, *Intangible Assets,* provide guidance on the recognition of assets arising from development.";

(ii) after paragraph 25, the following shall be inserted, namely:-

"**Effective date**

26 [Refer Appendix 1]

26A *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021, amended paragraph 10. An entity shall apply that amendment for annual periods beginning on or after 1 April, 2021. An entity shall apply the amendment to Ind AS 106 retrospectively in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendment to Ind AS 106 by reference to paragraphs 23–28, 50–53 and 54F of Ind AS 8.";

(iii) in Appendix 1,for paragraph 1, the following shall be substituted, namely:-

"1. Paragraph 26 of IFRS 6 related to Effective Date has not been included in Ind AS 106 since it is not relevant in Indian context. The transitional provisions given in IFRS 6 have not been given in Ind AS 106, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.";

(G) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 107", -

(i) in paragraph 24G, in item (c), for the words, figures, brackets and letter "paragraph 6.7.4(b) of Ind AS 109", the words, figures and letters "paragraph 6.7.4 of Ind AS 109" shall be substituted.;

(ii) after paragraph 24H, the following shall be inserted, namely:-

"**Additional disclosures related to interest rate benchmark reform**

24I To enable users of financial statements to understand the effect of interest rate benchmark reform on an entity's financial instruments and risk management strategy, an entity shall disclose information about:

(a) the nature and extent of risks to which the entity is exposed arising from financial instruments subject to interest rate benchmark reform, and how the entity manages these risks; and

(b) the entity's progress in completing the transition to alternative benchmark rates, and how the entity is managing the transition.

24J To meet the objectives in paragraph 24I, an entity shall disclose:

(a) how the entity is managing the transition to alternative benchmark rates, its progress at the reporting date and the risks to which it is exposed arising from financial instruments because of the transition;

(b) disaggregated by significant interest rate benchmark subject to interest rate benchmark reform, quantitative information about financial instruments that have yet to transition to an alternative benchmark rate as at the end of the reporting period, showing separately:

(i) non-derivative financial assets;

(ii) non-derivative financial liabilities; and

(iii) derivatives; and

(c) if the risks identified in paragraph 24J(a) have resulted in changes to an entity's risk management strategy (see paragraph 22A), a description of these changes.";

(iii) in paragraph 35A, in item (a), for the word, figures and letters "paragraph 35J ", the word, figures, letters and brackets "paragraph 35J(a) " shall be substituted;

(iv) in paragraph 35G, in sub-item (ii) of item (a), for the word "have", the word 'has" shall be substituted;

(v) paragraphs "44DE" and "44DF" shall be renumbered as "44EE" and "44FF", respectively and after paragraph 44FF, as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:-

"44GG *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2*, which amended Ind AS 109, Ind AS 107, Ind AS 104 and Ind AS 116, added paragraphs 24I–24J and 44HH. An entity shall apply these amendments when it applies the amendments to Ind AS 109, Ind AS 104 or Ind AS 116.

44HH In the reporting period in which an entity first applies *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2*, an entity is not required to disclose the information that would otherwise be required by paragraph 28(f) of Ind AS 8.";

(vi) in Appendix A, in the list below closing paragraph,-

- after the item "• effective interest method", the item, "• effective interest rate" shall be inserted;

(a) for the item "• gross carrying amount", the item "• gross carrying amount of a financial asset" shall be substituted;

(b) after the item "• loss allowance", the item "• past due" shall be inserted;

(vii) in Appendix B,-

(a) in paragraph B8B, for the word, figures, letters and brackets "paragraph 35F(f)(i) requires", the words, figures, letters and brackets "paragraph 35F(f)(ii) requires", shall be substituted;

(b) in paragraph B8I, for the word and figures "paragraph 5.5.10", the word and figures "paragraph 5.5.11" shall be substituted;

(H) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 109", -

(i) after paragraph 5.4.4, the following shall be inserted, namely:-

**"Changes in the basis for determining the contractual cash flows as a result of interest rate benchmark reform**

5.4.5 An entity shall apply paragraphs 5.4.6–5.4.9 to a financial asset or financial liability if, and only if, the basis for determining the contractual cash flows of that financial asset or financial liability changes as a result of interest rate benchmark reform. For this purpose, the term 'interest rate benchmark reform' refers to the market-wide reform of an interest rate benchmark as described in paragraph 6.8.2.

5.4.6 The basis for determining the contractual cash flows of a financial asset or financial liability can change:

(a) by amending the contractual terms specified at the initial recognition of the financial instrument (for example, the contractual terms are amended to replace the referenced interest rate benchmark with an alternative benchmark rate);

(b) in a way that was not considered by—or contemplated in—the contractual terms at the initial recognition of the financial instrument, without amending the contractual terms (for example, the method for calculating the interest rate benchmark is altered without amending the contractual terms); and/or

(c) because of the activation of an existing contractual term (for example, an existing fallback clause is triggered).

5.4.7 As a practical expedient, an entity shall apply paragraph B5.4.5 to account for a change in the basis for determining the contractual cash flows of a financial asset or financial liability that is required by interest rate benchmark reform. This practical expedient applies only to such changes and only to the extent the change is required by interest rate benchmark reform (see also paragraph 5.4.9). For this purpose, a change in the basis for determining the contractual cash flows is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both these conditions are met:

(a) the change is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and

(b) the new basis for determining the contractual cash flows is economically equivalent to the previous basis (ie the basis immediately preceding the change).

5.4.8 Examples of changes that give rise to a new basis for determining the contractual cash flows that is economically equivalent to the previous basis (ie the basis immediately preceding the change) are:

(a) the replacement of an existing interest rate benchmark used to determine the contractual cash flows of a financial asset or financial liability with an alternative benchmark rate—or the implementation of such a reform of an interest rate benchmark by altering the

method used to calculate the interest rate benchmark—with the addition of a fixed spread necessary to compensate for the basis difference between the existing interest rate benchmark and the alternative benchmark rate;

(b) changes to the reset period, reset dates or the number of days between coupon payment dates in order to implement the reform of an interest rate benchmark; and

(c) the addition of a fallback provision to the contractual terms of a financial asset or financial liability to enable any change described in (a) and (b) above to be implemented.

5.4.9 If changes are made to a financial asset or financial liability in addition to changes to the basis for determining the contractual cash flows required by interest rate benchmark reform, an entity shall first apply the practical expedient in paragraph 5.4.7 to the changes required by interest rate benchmark reform. The entity shall then apply the applicable requirements in this Standard to any additional changes to which the practical expedient does not apply. If the additional change does not result in the derecognition of the financial asset or financial liability, the entity shall apply paragraph 5.4.3 or paragraph B5.4.6, as applicable, to account for that additional change. If the additional change results in the derecognition of the financial asset or financial liability, the entity shall apply the derecognition requirements.";

(ii) in paragraph 5.5.8, the words "impairment gain or loss", shall be in italics;

(iii) in paragraph 6.5.10, the words "effective interest rate", shall be in italics;

(iv) after paragraph 6.8.12, the following shall be inserted, namely:-

"6.8.13 An entity shall prospectively cease applying paragraphs 6.8.7 and 6.8.8 at the earlier of:

(a) when changes required by interest rate benchmark reform are made to the non-contractually specified risk component applying paragraph 6.9.1; or

(b) when the hedging relationship in which the non-contractually specified risk component is designated is discontinued.

**6.9 Additional temporary exceptions arising from interest rate benchmark reform**

6.9.1 As and when the requirements in paragraphs 6.8.4–6.8.8 cease to apply to a hedging relationship (see paragraphs 6.8.9–6.8.13), an entity shall amend the formal designation of that hedging relationship as previously documented to reflect the changes required by interest rate benchmark reform, ie the changes are consistent with the requirements in paragraphs 5.4.6–5.4.8. In this context, the hedge designation shall be amended only to make one or more of these changes:

(a) designating an alternative benchmark rate (contractually or non-contractually specified) as a hedged risk;

(b) amending the description of the hedged item, including the description of the designated portion of the cash flows or fair value being hedged; or

(c) amending the description of the hedging instrument.

6.9.2 An entity also shall apply the requirement in paragraph 6.9.1(c) if these three conditions are met:

(a) the entity makes a change required by interest rate benchmark reform using an approach other than changing the basis for determining the contractual cash flows of the hedging instrument (as described in paragraph 5.4.6);

(b) the original hedging instrument is not derecognised; and

(c) the chosen approach is economically equivalent to changing the basis for determining the contractual cash flows of the original hedging instrument (as described in paragraphs 5.4.7 and 5.4.8).

6.9.3 The requirements in paragraphs 6.8.4–6.8.8 may cease to apply at different times. Therefore, in applying paragraph 6.9.1, an entity may be required to amend the formal designation of its hedging relationships at different times, or may be required to amend the formal designation of a hedging relationship more than once. When, and only when, such a change is made to the hedge designation, an entity shall apply paragraphs 6.9.7–6.9.12 as

applicable. An entity also shall apply paragraph 6.5.8 (for a fair value hedge) or paragraph 6.5.11 (for a cash flow hedge) to account for any changes in the fair value of the hedged item or the hedging instrument.

6.9.4 An entity shall amend a hedging relationship as required in paragraph 6.9.1 by the end of the reporting period during which a change required by interest rate benchmark reform is made to the hedged risk, hedged item or hedging instrument. For the avoidance of doubt, such an amendment to the formal designation of a hedging relationship constitutes neither the discontinuation of the hedging relationship nor the designation of a new hedging relationship.

6.9.5 If changes are made in addition to those changes required by interest rate benchmark reform to the financial asset or financial liability designated in a hedging relationship (as described in paragraphs 5.4.6–5.4.8) or to the designation of the hedging relationship (as required by paragraph 6.9.1), an entity shall first apply the applicable requirements in this Standard to determine if those additional changes result in the discontinuation of hedge accounting. If the additional changes do not result in the discontinuation of hedge accounting, an entity shall amend the formal designation of the hedging relationship as specified in paragraph 6.9.1.

6.9.6 Paragraphs 6.9.7–6.9.13 provide exceptions to the requirements specified in those paragraphs only. An entity shall apply all other hedge accounting requirements in this Standard, including the qualifying criteria in paragraph 6.4.1, to hedging relationships that were directly affected by interest rate benchmark reform.

**Accounting for qualifying hedging relationships**

**Cash flow hedges**

6.9.7 For the purpose of applying paragraph 6.5.11, at the point when an entity amends the description of a hedged item as required in paragraph 6.9.1(b), the amount accumulated in the cash flow hedge reserve shall be deemed to be based on the alternative benchmark rate on which the hedged future cash flows are determined.

6.9.8 For a discontinued hedging relationship, when the interest rate benchmark on which the hedged future cash flows had been based is changed as required by interest rate benchmark reform, for the purpose of applying paragraph 6.5.12 in order to determine whether the hedged future cash flows are expected to occur, the amount accumulated in the cash flow hedge reserve for that hedging relationship shall be deemed to be based on the alternative benchmark rate on which the hedged future cash flows will be based.

**Groups of items**

6.9.9 When an entity applies paragraph 6.9.1 to groups of items designated as hedged items in a fair value or cash flow hedge, the entity shall allocate the hedged items to subgroups based on the benchmark rate being hedged and designate the benchmark rate as the hedged risk for each subgroup. For example, in a hedging relationship in which a group of items is hedged for changes in an interest rate benchmark subject to interest rate benchmark reform, the hedged cash flows or fair value of some items in the group could be changed to reference an alternative benchmark rate before other items in the group are changed. In this example, in applying paragraph 6.9.1, the entity would designate the alternative benchmark rate as the hedged risk for that relevant subgroup of hedged items. The entity would continue to designate the existing interest rate benchmark as the hedged risk for the other subgroup of hedged items until the hedged cash flows or fair value of those items are changed to reference the alternative benchmark rate or the items expire and are replaced with hedged items that reference the alternative benchmark rate.

6.9.10 An entity shall assess separately whether each subgroup meets the requirements in paragraph 6.6.1 to be an eligible hedged item. If any subgroup fails to meet the requirements in paragraph 6.6.1, the entity shall discontinue hedge accounting prospectively for the hedging relationship in its entirety. An entity also shall apply the requirements in paragraphs 6.5.8 and 6.5.11 to account for ineffectiveness related to the hedging relationship in its entirety.

**Designation of risk components**

6.9.11 An alternative benchmark rate designated as a non-contractually specified risk component that is not separately identifiable (see paragraphs 6.3.7(a) and B6.3.8) at the date it is designated shall be deemed to have met that requirement at that date, if, and only if, the entity reasonably expects the alternative benchmark rate will be separately identifiable within 24 months. The 24-month period applies to each alternative benchmark rate separately and starts from the date the entity designates the alternative benchmark rate as a non-contractually specified risk component for the first time (ie the 24-month period applies on a rate-by-rate basis).

6.9.12 If subsequently an entity reasonably expects that the alternative benchmark rate will not be separately identifiable within 24 months from the date the entity designated it as a non-contractually specified risk component for the first time, the entity shall cease applying the requirement in paragraph 6.9.11 to that alternative benchmark rate and discontinue hedge accounting prospectively from the date of that reassessment for all hedging relationships in which the alternative benchmark rate was designated as a non-contractually specified risk component.

6.9.13 In addition to those hedging relationships specified in paragraph 6.9.1, an entity shall apply the requirements in paragraphs 6.9.11 and 6.9.12 to new hedging relationships in which an alternative benchmark rate is designated as a non-contractually specified risk component (see paragraphs 6.3.7(a) and B6.3.8) when, because of interest rate benchmark reform, that risk component is not separately identifiable at the date it is designated.";

(v) after paragraph 7.1.8, the following shall be inserted, namely:-

"7.1.9 [Refer Appendix 1]

7.1.10 *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2*, which amended Ind AS 109, Ind AS 107, Ind AS 104 and Ind AS 116, added paragraphs 5.4.5–5.4.9, 6.8.13, Section 6.9 and paragraphs 7.2.43–7.2.46. An entity shall apply these amendments for annual periods beginning on or after 1st April 2021.";

(vi) after paragraph 7.2.34, the following shall be inserted, namely:-

"7.2.35-7.2.42 [Refer Appendix 1]

**Transition for *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2***

7.2.43 An entity shall apply *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2* retrospectively in accordance with Ind AS 8, except as specified in paragraphs 7.2.44–7.2.46.

7.2.44 An entity shall designate a new hedging relationship (for example, as described in paragraph 6.9.13) only prospectively (i.e, an entity is prohibited from designating a new hedge accounting relationship in prior periods). However, an entity shall reinstate a discontinued hedging relationship if, and only if, these conditions are met:

(a) the entity had discontinued that hedging relationship solely due to changes required by interest rate benchmark reform and the entity would not have been required to discontinue that hedging relationship if these amendments had been applied at that time; and

(b) at the beginning of the reporting period in which an entity first applies these amendments (date of initial application of these amendments), that discontinued hedging relationship meets the qualifying criteria for hedge accounting (after taking into account these amendments).

7.2.45 If, in applying paragraph 7.2.44, an entity reinstates a discontinued hedging relationship, the entity shall read references in paragraphs 6.9.11 and 6.9.12 to the date the alternative benchmark rate is designated as a non-contractually specified risk component for the first time as referring to the date of initial application of these amendments (ie the 24-month period for that alternative benchmark rate designated as a non-contractually specified risk component begins from the date of initial application of these amendments).

7.2.46 An entity is not required to restate prior periods to reflect the application of these amendments. The entity may restate prior periods if, and only if, it is possible without the use of hindsight. If an entity does not restate prior periods, the entity shall recognise any difference between the previous carrying amount and the carrying amount at the beginning of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments in the opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments.";

(vii) in Appendix A,-

(a) for the heading **"effective interest method",** the heading **"effective interest rate "**shall be substituted.;

(b) before the heading **"effective interest rate",** as so substituted and the entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

| | |
|---|---|
| "**effective interest method** | The method that is used in the calculation of the **amortised cost of a financial asset or a financial liability** and in the allocation and recognition of the interest revenue or interest expense in profit or loss over the relevant period."; |

(viii) in Appendix B, in paragraph B6.5.33, indentation of the closing paragraph to be aligned with sub paragraph (b)

(ix) in Appendix 1,-

(a) for paragraph 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. Paragraphs 7.1.1 to 7.1.3 of IFRS 9 related to effective date have not been included in Ind AS 109 as these paragraphs are not relevant in Indian context. Paragraph 7.1.6 has not been included as it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. Paragraph 7.1.9 has not been included as it refers to amendments to paragraph B3.3.6 of IFRS 9, for which corresponding amendments to Ind AS 109 are under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, these paragraph numbers are retained in Ind AS 109. ";

(b) after paragraph 4, the following shall be inserted, namely:-

"5. Paragraphs 7.2.35 to 7.2.42 of IFRS 9 relate to amendments/standard not yet effective in India, hence not included in Ind AS 109. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, these paragraph numbers are retained in Ind AS 109.";

(I) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 111", in paragraph 21A, for the words, letters and figures "as defined in Ind AS 103," the words, letters and figures "as defined in Ind AS 103,*Business Combinations*," shall be substituted;

(J) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 114", -

(i) for paragraph 13, the following shall be substituted, namely:-

"**13 An entity shall not change its accounting policies in order to start to recognise regulatory deferral account balances. An entity may only change its accounting policies for the recognition, measurement, impairment and derecognition of regulatory deferral account balances if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable[*], or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in paragraph 10 of Ind AS 8.**"

[*] The term "faithful representation", which is used in the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Ind AS* issued by the Institute of Chartered Accountants of India, encompasses the main characteristics that the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* called "reliability". The requirement in paragraph 13 of this Standard is based on the requirements of Ind AS 8, which retains the term "reliable".

(K) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 115",-

(i) in Appendix D, after paragraph 27, the following shall be inserted, namely;-

"**Effective date**

28 [Refer Appendix 1]

28A-28C [Refer Appendix 1]

28D Ind AS 115 amended paragraphs 13–15, 18–20 and 27 of Appendix D (which was earlier notified as Appendix A of erstwhile Ind AS 11). An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 115.

28E [Refer Appendix 1]

28F Ind AS 116, amended paragraph AG8. An entity shall apply that amendment when it applies Ind AS 116.";

(ii) in Appendix 1,-

(a) in paragraph 6,

(i) for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely:-

"6. Paragraphs C1B, C8A and C9 of Appendix C and paragraphs 28 and 28E of Appendix D related to effective date and transition have been deleted due to following reasons:";

(ii) after item (b), the following shall be inserted, namely:-

"(c) Paragraphs 28 and 28E of Appendix D are not relevant in Indian context as the same relate to effective date of IFRIC 12.";

(b) for paragraph 7, the following shall be substituted, namely:-

"7. Paragraph B57 of Appendix B of IFRS 15 and paragraphs 28A-28C of IFRIC 12 appear as 'Deleted'. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 15 and IFRIC 12, the paragraph numbers are retained in Ind AS 115.";

(L) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 116", -

(i) in paragraph 46B, for item (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) any reduction in lease payments affects only payments originally due on or before the 30th June, 2022 (for example, a rent concession would meet this condition if it results in reduced lease payments on or before the 30th June, 2022 and increased lease payments that extend beyond the 30th June, 2022); and";

(ii) after paragraph 103, the following shall be inserted, namely:-

"**Temporary exception arising from interest rate benchmark reform**

104 A lessee shall apply paragraphs 105–106 to all lease modifications that change the basis for determining future lease payments as a result of interest rate benchmark reform (see paragraphs 5.4.6 and 5.4.8 of Ind AS 109). These paragraphs apply only to such lease modifications. For this purpose, the term 'interest rate benchmark reform' refers to the market-wide reform of an interest rate benchmark as described in paragraph 6.8.2 of Ind AS 109.

105 As a practical expedient, a lessee shall apply paragraph 42 to account for a lease modification required by interest rate benchmark reform. This practical expedient applies only to such modifications. For this purpose, a lease modification is required by interest rate benchmark reform if, and only if, both of these conditions are met:

(a) the modification is necessary as a direct consequence of interest rate benchmark reform; and

(b) the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis (ie the basis immediately preceding the modification).

106 However, if lease modifications are made in addition to those lease modifications required by interest rate benchmark reform, a lessee shall apply the applicable requirements in this Standard to account for all lease modifications made at the same time, including those required by interest rate benchmark reform.";

(iii) in Appendix C,

(a) after paragraph C1A, the following shall be inserted, namely:-

"C1B *Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2*, which amended Ind AS 109, Ind AS 107, Ind AS 104 and Ind AS 116, added paragraphs 104–106 and C20C–C20D. An entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after the 1st April 2021.

C1C *Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021*, amended paragraph 46B and added paragraphs C20BA–C20BC. A lessee shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after the 1st April 2021. In case a lessee has not yet approved the financial statements for issue before the issuance of this amendment, then the same may be applied for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2020.";

(b) after paragraph C20B, the following shall be inserted, namely:-

"C20BA A lessee shall apply *Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021* (see paragraph C1C) retrospectively, recognising the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

C20BB In the reporting period in which a lessee first applies *Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021*, a lessee is not required to disclose the information required by paragraph 28(f) of Ind AS 8.

C20BC Applying paragraph 2 of this Standard, a lessee shall apply the practical expedient in paragraph 46A consistently to eligible contracts with similar characteristics and in similar circumstances, irrespective of whether the contract became eligible for the practical expedient as a result of the lessee applying *Covid-19-Related Rent Concessions* (see paragraph C1A) or *Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021* (see paragraph C1C).

***Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2***

C20C An entity shall apply these amendments retrospectively in accordance with Ind AS 8, except as specified in paragraph C20D.

C20D An entity is not required to restate prior periods to reflect the application of these amendments. The entity may restate prior periods if, and only if, it is possible without the use of hindsight. If an entity does not restate prior periods, the entity shall recognise any difference between the previous carrying amount and the carrying amount at the beginning of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments in the opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments.";

(M) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 1", -

(i) in paragraph 15, for the word "***Framework***", the words "***Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework)*** **issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)"** shall be substituted;

(ii) in paragraph 19, for the words " **in the *Framework***", the words " **in the *Conceptual Framework***" shall be substituted;

(iii) in paragraph 20, in item (c), for the word "***Framework***", the words " ***Conceptual Framework***" shall be substituted;

(iv) in paragraph 23, for the words **" in the *Framework***" at both the places where they occur, the words " **in the *Conceptual Framework***" shall be substituted;

(v) in paragraph 24, for the words **"** in the *Framework*" at both the places where they occur, the words " in the *Conceptual Framework*" shall be substituted;

(vi) in paragraph 28, for the word "*Framework*", the words " *Conceptual Framework*" shall be substituted;

(vii) in paragraph 89, for the word "*Framework's*", the words " *Conceptual Framework's*" shall be substituted;

(viii) in paragraph 95, for the words "hedged forecast cash flow affect", the words "hedged forecast cash flows affect" shall be substituted;

(ix) for paragraph 139S, the following shall be substituted, namely:-

"139S *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021, amended paragraphs 15, 19–20, 23–24, 28 and 89. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after the 1st April, 2021. An entity shall apply the amendments to Ind AS 1 retrospectively in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendments to Ind AS 1 by reference to paragraphs 23–28, 50–53 and 54F of Ind AS 8.";

(x) in Appendix 1,for paragraph 10, the following shall be substituted, namely:-

"10 Paragraphs 139 to 139M and 139O-139P related to Transition and Effective Date have not been included in Ind AS 1 as these are not relevant in Indian context. Paragraph 139R relates to IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, these paragraph numbers are retained in Ind AS 1.";

(N) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 8", -

(i) in paragraph 11, in item (b), for the word "***Framework***", the words **"*Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework)** issued by the Institute of Chartered Accountants of India**" shall be substituted;

(ii) for paragraphs 54F and 54G, the following shall be substituted, namely:-

"54F *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021 amended paragraph 11(b). An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after 1 April, 2021. An entity shall apply the amendments to paragraph 11(b) retrospectively in accordance with this Standard. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendments to paragraph 11(b) by reference to paragraphs 23–28 of this Standard. If retrospective application of any amendment in *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* would involve undue cost or effort, an entity shall, in applying paragraphs 23–28 of this Standard, read any reference except in the last sentence of paragraph 27 to 'is impracticable' as 'involves undue cost or effort' and any reference to 'practicable' as 'possible without undue cost or effort'.

54G If an entity does not apply Ind AS 114, *Regulatory Deferral Accounts*, the entity shall, in applying paragraph 11(b) to regulatory account balances, continue to refer to, and consider the applicability of, the definitions, recognition criteria, and measurement concepts in the *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements in accordance with Indian Accounting Standards* issued by the Institute of Chartered Accountants of India instead of those in the *Conceptual Framework* issued in 2020. A 'regulatory account balance' and 'rate regulator' have the same meaning as defined in Ind AS 114.";

*Paragraph 54G explains how this requirement is amended for regulatory account balances.

(iii) in Appendix 1,for paragraph 5, the following shall be substituted, namely:-

"5. Paragraphs 54-54E of IAS 8 related to Effective date and transition have not been included in Ind AS 8 as these are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 8, these paragraph numbers are retained in Ind AS 8.";

(O) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 12", in paragraph 29, in sub-item (i) of item (a), for the word and symbol "differences." appearing at the end of second sentence, the words and symbol and "differences; and " shall be substituted;

(P) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 16", in paragraph 6, for the words "***Recoverable amount* is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use."**, the words "***Recoverable amount* is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use."** shall be substituted;

(Q) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 27", in paragraph 15, for the words and figures "paragraphs 16 and 17", the word and figures "paragraphs 16-17" shall be substituted;

(R) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 28, in paragraph 42, for the words " costs to sell", the words "costs of disposal" shall be substituted;

(S) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 34", -

(i) for paragraph 31, the following shall be substituted, namely:-

"31 Under the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards (Conceptual Framework)* issued by the Institute of Chartered Accountants of India, recognition is the process of capturing, for inclusion in the Balance Sheet or Statement of Profit and Loss, an item that meets the definition of one of the elements of the financial statements. The definitions of assets, liabilities, income, and expenses are fundamental to recognition, at the end of both annual and interim financial reporting periods.";

(ii) for paragraph 33, the following shall be substituted, namely:-

"33 An essential characteristic of income (revenue) and expenses is that the related inflows and outflows of assets and liabilities have already taken place. If those inflows or outflows have taken place, the related revenue and expense are recognised; otherwise they are not recognised. The *Conceptual Framework* does not allow the recognition of items in the balance sheet which do not meet the definition of assets or liabilities.";

(iii) for paragraph 58, the following shall be substituted, namely:-

"58 *Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021 amended paragraphs 31 and 33. An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after 1 April 2021. An entity shall apply the amendments to Ind AS 34 retrospectively in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendments to Ind AS 34 by reference to paragraphs 43–45 of this Standard and paragraphs 23–28, 50–53 and 54F of Ind AS 8.";

(iv) in Appendix 1,for paragraph 7, the following shall be substituted, namely:-

"7 Paragraphs 46-54 and 56-57 related to effective date have not been included in Ind AS 34 as these are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 34, these paragraph numbers are retained in Ind AS 34.";

(T) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 37", in paragraph 10, in the definition of the term "liability", after the word "liability", the symbol "*"with corresponding following footnote shall be inserted, namely:-

"* The definition of a liability in this Standard is not revised following the revision of the definition of a liability in the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* issued in 2021 by the Institute of Chartered Accountants of India.";

(U) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 38", -

(i) in paragraph 8, in the definition of the term "*Asset"*, after the word "*Asset*", the symbol "*"with corresponding following footnote shall be inserted, namely:-

"* The definition of an asset in this Standard is not revised following the revision of the definition of an asset in the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* issued in 2021 by the Institute of Chartered Accountants of India.";

(ii) in paragraph 114, for the words, letters and figure "Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*", the word, letters and figure "Ind AS 115" shall be substituted;

(iii) in Appendix A,-

(a) for paragraph 5, the following shall be substituted, namely:-

"5 This Appendix does not apply to expenditure on purchasing, developing, and operating hardware (eg web servers, staging servers, production servers and Internet connections) of a web site. Such expenditure is accounted for under Ind AS 16. Additionally, when an entity incurs expenditure on an Internet service provider hosting the entity's web site, the expenditure is recognised as an expense under paragraph 88 of Ind AS 1 and the *Conceptual Framework for Financial Reporting under Indian Accounting Standards* issued by The Institute of Chartered Accountants of India when the services are received.";

(b) after paragraph 10, the following shall be inserted, namely:-

"**Effective date**

*Amendments to References to the Conceptual Framework in Ind AS* issued in 2021, amended paragraph 5. An entity shall apply that amendment for annual periods beginning on or after 1 April 2021. An entity shall apply the amendment to Appendix A retrospectively in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. However, if an entity determines that retrospective application would be impracticable or would involve undue cost or effort, it shall apply the amendment to Appendix A by reference to paragraphs 23–28, 50–53 and 54F of Ind AS 8.";

(V) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 40", in paragraph 7, for the word, letters and figure "Ind AS 116 ", the words, letters and figure "Ind AS 116, *Leases"* shall be substituted.

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part. IX)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and were subsequently amended vide notifications number G.S.R. 365 (E), dated the 30th March, 2016, number G.S.R. 258(E), dated the 17th March, 2017, number G.S.R. 310(E), dated the 28th March, 2018, number G.S.R. 903(E), dated the 20th September, 2018, number G.S.R. 273(E), dated the 30th March, 2019, number G.S.R. 274 (E), dated the 30th March, 2019 and number G.S.R. 463 (E), dated the 24th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.18 21:43:00 +05'30'